



हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

महेंद्रगढ़- 123031 (हरियाणा), भारत
नैक द्वारा 'ए'- ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय

Central University of Haryana

Mahendergarh-123031(Haryana). India
NAAC ACCREDITED 'A' GRADE UNIVERSITY

Achieving Through Believing

क्रमांक / No... CUH/2022/RTI/2539

दिनांक / Date: 05.08.2022

अधिसूचना/Notification

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत, सूचना का अधिकार में समृद्ध अनुभव वाले लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों की समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित कर किया गया है:

With the approval of the Competent Authority, the Committee of PIO's/FAAs with rich Experience in the RTI, under Section 4 of the RTI Act, 2005 has been constituted, consisting of the following members:

1. Director, IQAC, Central University of Haryana.
2. First Appellate Authority, Central University of Haryana.
3. Central Public Information Officer, Central University of Haryana.
4. Dr. Bharat, University Institute of Legal Studies, Panjab University.

(Dr. Rajeev Kumar Singh)

Central Public Information Officer

Central University of Haryana

Mahendragarh, Haryana

प्रतिलिपि: निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

1. कुलपति कार्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर (माननीय कुलपति महोदय की सूचना हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव कार्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर (कुलसचिव महोदय की सूचना हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित समिति सदस्य।